

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/ज0गु0-108/2012 439 (मि0)पटना - 15, दिनांक :- 30/1/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, अररिया।

विषय - वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसावटों के सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु राज्यांश मद से 6.00 लाख रुपये (छः लाख रुपये) मात्र की राज्यांश मद से विमुक्ति।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 38 जिलों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसावटों के सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ 534 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु विभागीय पत्रांक - 6/ ज0गु0-108/2012 - 321, दिनांक - 20/02/13 द्वारा 10781.46 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है जिसमें 5390.73 लाख रुपये राज्यांश की राशि है।

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का नाम	वार्ड संख्या	स्थिति
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	दियारी	मजगामा	3	चालू।
2	जोकिहाट	चकई	चकई	5	चालू।
3	कुर्साकौटा	रहटमीना	डोरिया	12	चालू।
4	रानीगंज	परमानन्दपुर	परमानन्दपुर	2	चालू।
5	भरगामा	हरिपुर कला	हरिपुर कला	7	चालू।
6	फारबिसगंज	दिपौल	अमौना	10	चालू।
7	नरपतगंज	दरगाहीगंज	दरगाहीगंज	5	चालू।
8	पलासी	बडकुम्भा	भटनिया	12	चालू।
9	सिकटी	बरदाहा	दगरी टोला	6	चालू।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसावटों के सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु सामान्य मद से 6.00 लाख रुपये (छः लाख रुपये) मात्र को बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के राज्यांश मद में जमा राशि से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। इस योजना के लिए कोई नये पद का सृजन नहीं किया जायेगा।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव


ज्ञापांक - 432 (मा०)

पटना, दिनांक - 30/1/2018

प्रतिलिपि - सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पूर्णियाँ / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो०) / अधीक्षण अभियन्ता, पूर्णियाँ / उप निदेशक (मू०) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो०) / कार्यपालक अभियन्ता -सह- नोडल पदाधिकारी / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई० टी० मैनेजर / रोकडपाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / प्रशाखा पदाधिकारी - 4 / 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सदस्य सचिव, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बसावटों के सौर ऊर्जा चालित पम्प के साथ मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में राज्यांश मद की राशि से कार्यपालक अभियन्ता, अररिया को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त की जाय।


(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव